

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मौंटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी।)

भू-वैज्ञानिक की आव्याप्ति

संलग्न है।

कार्यालय इमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
 देहरादून।

भू - गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0-458 / सडक / पुल समरेखण / गढवाल / 2013

Geological Assessment of the alignment proposed for
 Barsil to Bamoli motor road, Distt. Rudraprayag.

25-अक्टूबर-2013

Geological Assessment of the alignment proposed for Barsil to Bamoli motor road, Distt. Rudraprayag.

Vijay Dangwal

25-10-2013

1. Introduction:- The Provincial Division, Public Works Department Rudraprayag proposed the new construction of 1.00 km long motor road namely Barsil to Bamoli Distt. Plan. On the request of Er. Indrajeet Bose, Executive Engineer, P.W.D Rudraprayag carried out the geological/ geotechnical assessment of the proposed alignment corridor on 17.10.13 in presence of Er. Arjun Singh Panwar, Asst. Engineer and Er. Pradeep Katariya, the Additional Asst. Engineer, P.W.D. Rudraprayag.

2. Location:- The proposed alignment of Barsil to Bamoli motor road is located in the Agastymuni Block, Distt. Rudraprayag.

3. Geological Assessment:- Geologically Barsil and Bamoli hamlets are situated in the inner lands of Lesser Himalyan Belt which is occupied by quartzites, grey greywakes, silt stones and metabasic rocks of Damta and Churk Group. These rocks are mostly massive to thinly foliated, slightly weathered and fissile in nature. The rock mass exposed in the area has been traversed by prominent rock defect sets which are mostly tight and infilled by the secondary inclusion. The slopes across which the alignment passes are inclined at an angle in N010 direction and they are mostly enveloped with the overburden material comprised of angular rock fragments embedded in the clay-silt matrix. The content of the slope forming material contains silty clay in abundance and the material loses its shear strength abruptly under moist/wet conditions. The rock exposed along the alignment is partially weathered in nature and its "Unconfined Compressive Strength" has been estimated at the site ranging between 20 MPa to 40 MPa. These UCS values corresponds to the rock mass rating category "weak" to "strong" rock classes respectively. The overburden material deposited on the alignment slopes is mostly comprised of hill wash/slope wash material.

The overburden material deposited on the alignment is naturally dense and compact in nature.

Task Force Report

-2-

By and large the alignment slopes are stable and presently from any landslides/mass wasting.

On the basis of the above and the study carried at the site following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

4. Recommendations:-

1. Form the road by half cut-half fill technique and compact the fill material properly.
2. Construct extra wide hill side drain in order to collect the run-off from the upslope and the road.
3. The road must have adequate provision of cross drainage arrangements and drained water must be disposed on the safe/stable ground preferably through lined cross drains.
4. Do not dispose the excavated waste on the lower slopes. The muck should be disposed on the pre-identified suitable dump yard.
5. The road and its either side slopes must be protected by the suitably designed retaining/breast walls.
6. The entire top of the roadway, inner edge to outer edge must be sealed by the top, this is so as to check the infiltration of water into the sub surface.
7. All the construction activities should be carried out as per the norms and standard laid by the IRC/MORTH, for the similar structure constructed in the Himalayas

5. Conclusion:- On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for construction of Barsil to Bamoli motor road, Distt. Rudraprayag.

photo copy Arrested

S. Dangwal

सहायक अभियन्ता
राजीव खण्ड लोक निगमन विभाग
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग

1-1-1

25/10/2013
(Vijay Dangwal)


Sr. Geologist
Office of the Engineer in Charge
PWD Dehradun.

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
- A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
 - (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for evenline dispersion of shock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
 - (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
 - (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
 - (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०निं०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०निं०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०निं०वि०
रुद्रप्रयाग

मानक शर्तेः

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से इसे किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वचंद्र विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर उन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आइस्टकरा याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन इदि स्वतः बिना किसी छातीकर का न्यूनतम किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. लड्डू निर्माण के इस्तानों पर एलाइनेट लब होते स्थानों स्थानों स्थान पर वन विभाग का परामर्श साठनिविं० द्वारा ग्राम किया जायेगा लब इस स्थान में इनुड लाइनेट, लाइनिंग के छतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी की स्वेच्छित लब संख्या लब लो० दिनांक १०-२-१२ ने निहित आदेशों का पालन भी साठनिविं० द्वारा किया जायेगा तो इसानी बनाना लब लो० तो यह बदल कर लक्ष्य करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना इस नई स्थान का निर्माण ही वापस्यक है।
12. वन भूमि का मुख्य लक्ष्य निर्माण की द्वारा प्रदल मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होना जो याचक विभाग का मान्य होना।
13. वन भूमि पर लड्डू लूकों का निर्माण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग लाइन स्टॉक द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से लूकों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा लूकों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले लूकों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा लघु किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े लूकों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे लूकों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने से यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को लँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्वर स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० षड लो०निविं०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० छण्ड लो०निविं०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० छण्ड लो०निविं०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

मू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कृष्ण

४३५
लालक डिनेटा
मा यह लोगोंविं
लादूपर्यं






अधिकारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० निर० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मॉटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)


धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

 राजस्व उपायकारी अगस्त्यमुनि रेज़ोर्म्युलेशन रुद्रप्रयाग सचिव प्रभाग (रुद्रप्रयाग)	 तिथायक अमित्यन्ता प्रा० खण्ड लो०नि�०वि० रुद्रप्रयाग	 अधिष्ठाता अमित्यन्ता प्रा० खण्ड लो०नि�०वि० रुद्रप्रयाग	
 राजस्व उपायकारी अगस्त्यमुनि रेज़ोर्म्युलेशन रुद्रप्रयाग सचिव प्रभाग (रुद्रप्रयाग)	 तहसीलदार रुद्रप्रयाग	 उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग	 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित



 लिला भागत
 रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/रथानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कामेश्वर कामेश्वर
प्रा० खण्ड लो०निर्विठ
रुद्रप्रयाग


सहायक कामेश्वर
प्रा० खण्ड लो०निर्विठ
रुद्रप्रयाग


आमित्रासी अमित्यन्ता
प्रा० खण्ड लो०निर्विठ
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसौई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या
बर्सिल	00247300	70
कुल - 70		

कनिष्ठ आभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

४४
सहायक आभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

४५
अधिशासी आभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली भौटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई घटोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कल्पक अधिकारी
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग



कल्पक अधिकारी
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग



अधिकारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग

एनोपीओ की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

इका कलास V के अन्तर्गत आता है। उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र Open Forest/Dense Forest/Semi Dense Forest की श्रेणी में आता है। जिस हेतु ए००पी०वी० की धनराशि की प्रति है। दर रूपये $845000 = 10$ (अ०८ लाख फैलोंस्ट हजार) है। उक्त दर के अनुसार ए००पी०वी० की धनराशि का आगणन रु० $502775 = 10$ (अ०८ लाख छह हजार सात हजार रुपये प्रिय्यहर रुपये) मात्र किया जाया है, जिसका मुग्यान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


२००५) वन्नाधिकारी म
प्रभागीय वन्नाधिकारी
प्रप्रयाग वन प्रभाग
कुप्रयाग

परियोजना का नाम : जनधाद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वी०
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि_हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि वर्षों की लीज पर ली जा रही है।

—लागू नहीं है। —


कार्यालय अधिकारी
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


 कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
 रुद्रप्रयाग


 सहायक अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
 रुद्रप्रयाग


 अभिशासी अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
 रुद्रप्रयाग

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) -

वन पंचायत भूमि	-	0.5950 है०
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 है०
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 है०
निजी भूमि	-	0.1050 है०
योग	-	0.7000 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम - लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

3. वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हाँ/नहीं

5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ/नहीं

6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हाँ/नहीं

7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है - हाँ/नहीं

8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नहीं

9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है - हाँ/नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ/नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ/नहीं

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं

15. क्या माचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ/नहीं

16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ/नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ/नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ/नहीं ✓
 यदि हाँ तो मुख्य बन्ध जीव प्रतिपालका का प्रामण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय - हाँ/नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं
26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण

उभावात्मा से असहमति

कैवल्य,

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ/नहीं ✓
 (5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है - हाँ/नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें - हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं - यादे छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ/नहीं
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं ✓
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं
35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

36. एनोपीओ की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) — हाँ / नहीं
37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा शीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है — हाँ / नहीं
38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है — हाँ / नहीं
39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है — हाँ / नहीं
40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं — हाँ / नहीं
41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है — हाँ / नहीं
42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस / मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है — हाँ / नहीं
43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है — हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
प्राचीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली गोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग / सेतु की लम्बाई (वास्तविक) :- 1.00 किमी


मार्ग में पड़ने वाले ग्राम :- आबादी


बर्सिल 00247300 70

कुल - 70

मार्ग / सेतु के प्रारम्भिक विन्दु के अक्षांश :- उ०

देशान्तर :- पू०


कमिटी अधिकारी
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिकारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)


राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से परियोजना स्थल की दूरी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के दारनाथ वन्य जीव अभ्यारण से उक्त परियोजना की दूरी लगभग 23.75 किमी है।


कनिष्ठ अमियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


लहायक अमियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशास्री अमियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
(रुद्रप्रयाग)


रम्भवानी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग



प्रतिहस्ताशरित
प्रभावीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र


यह मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


संडायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
(रुद्रप्रयाग)


पंचायत वनाधिकारी
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला परियोजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

वन वेत्ता विकारी
अगस्त्यमुनि रेजि
रुद्रप्रयाग (लो०नि०वि०)
रुद्रप्रयाग

प्रतिक्रिया विवरित
प्रभाव विवरित
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

जल
के
तरण


परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मॉटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेजियर
रुद्रप्रयाग (वन मंत्रालयीन रेज)
(रुद्रप्रयाग)


राजस्व उपनिरीक्षक



तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


प्रतिक्रिया संकारित
प्रभागीय वकालाधिकारी
प्रस्तावित वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.5950 हेक्टेएर वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 7100 लाख प्रति हेक्टेएर है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु 4165 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 4165 लाख प्रतिशत की दर से 4165 रु होता है।

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग
भूमिकारी

कृष्ण

दरबार


जैल
न्यून के
न्तरण

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.5950 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 1.1900 हेक्टर में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

जेल
मार्ग के
निवास

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय
वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेज
(रुद्रप्रयाग)

प्रस्तावित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी में हस्तान्तरित की जाने वाली 0.5950 हैक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध दुगुने क्षेत्रफल 1.1900 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेज
(रुद्रप्रयाग)

प्रतिहस्तान्तरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

10/2/2022
10/2/2022
10/2/2022
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत वर्सिल से बमोली मॉटर भार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 1.00 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान—

किमी० १ — हेमी० २-४, ६-८


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।